रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938
No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

महापत्त्न प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 28 अक्तूबर, 2016

सं. टीएएमपी/68/2012-बीपीसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पैट्रोलियम निगम लिमिटेड के वर्तमान दरमानों की वैधता में एतद्वारा संलग्न आदेश के द्वारा विस्तार करता है।

महापत्त्न प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएएमपी/68/2012-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड - - -
आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टीएस. बालसुब्रमनियन (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर, 2016 के 25वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 बीपीसीएल के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार 4 अगस्त, 2014 के आदेश सं. टीएएमपी/68/2012- बीपीसीएल द्वारा अनुमोदित किया गए थे। यह आदेश भारत के राजपत्र में 19 अगस्त, 2014 को अधिसूचित हुआ था। उक्त आदेश में प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च 2016 तक थी।

2.2 तत्पश्चात्, इस प्राधिकरण ने अपने 21 जून, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/68/2012- बीपीसीएल के द्वारा बीपीसीएल के दरमानों की वैधता 30 सितम्बर, 2016 तक बढ़ा दी थी। बीपीसीएल को अपने प्रस्ताव हर हाल में 15 जुलाई, 2016 तक दायर करने की सलाह दी गई थी, जैसा कि उन्होंने स्वीकार भी किया था।

3. तदनुसार, बीपीसीएल ने 29 जुलाई, 2016 के पत्र के द्वारा अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया। इस प्रस्ताव पर परामर्श किया गया है और 10 अक्तूबर, 2016 को संयुक्त सुनवाई भी हो चुकी है। बीपीसीएल के प्रस्ताव से संबंधित अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण बीपीसीएल से मांगे गए हैं। बीपीसीएल का उत्तर प्रतीक्षित है।

4. इस बीच, बीपीसीएल ने अपने दिनांक 29 सितंबर, 2016 के पत्र द्वारा दरों की वैधता का 31 दिसंबर, 2016 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

5. यह देखते हुए कि मामले के अंतिम निपटान तक पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है, यह प्राधिकरण, बीपीसीएल के वर्तमान दरमानों की वैधता को 31 दिसंबर 2016 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वियन की प्रभावी तारीख जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि ग्राह्य लागत और अनुमत प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त अधिशेष निकलता है तो उसे 1 अप्रैल, 2016 के बाद की अवधि में उसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जायेगा।

टी.एस.बालसुब्रहमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन- **III** /4/असा. (298) 143]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th October, 2016

No. TAMP/68/2012-BPCL.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/68/2012-BPCL

The Bharat Petroleum Corporation Limited - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 25th day of October, 2016)

This note relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) in the Jawaharlal Nehru Port Trust.

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/68/2012-BPCL dated 4 August 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 19 August 2014. The said Order prescribed a tariff validity till 31 March 2016.

2.2. Subsequently, this Authority vide its Order No. TAMP/68/2012-BPCL dated 21 June 2016 has extended the validity of existing SOR of BPCL till 30 September 2016. The BPCL was also advised to file its proposal positively by 15 July 2016, as agreed by it.

3. Accordingly, the BPCL vide its letter dated 29 July 2016 has filed a proposal for general revision of its Scale of Rates (SOR). The proposal has been taken up on consultation. The joint hearing in this case was held on 10 October 2016. Additional information/ clarification arising from the BPCL proposal has been sought from BPCL. The response of BPCL is awaited.

4. In the meanwhile, the BPCL vide its letter dated 29 September 2016 has requested to grant extension of rates till 31 December 2016.

5. Given that it may take some more time for the case to mature for final disposal, this Authority is inclined to extend the validity of the existing SOR of BPCL upto 31 December 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April 2016, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN**,** Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty.(298) 143]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.16 15:42:04 +05'30'